// 1//दाण्डिक प्रकरण कमांक-299/15

<u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंदेरी</u> जिला अशोकनगर म.प्र.

आपराधिक प्रकरण क. 299 / 15 संस्थित दिनांक———09.10.2015

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

.....अभियोजन

विरुद्ध

 नीलेश पुत्र अमर सिंह लोधी उम्र 20 साल निवासी— ग्राम तगारी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

<u>: : नि र्ण य : :</u>

(आज दिनांक 20.02.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.स. की धारा 456, 354 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 15.09.2015 को रात करीब 2:00 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम तगारी में फरियादिया के घर जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है में प्रवेश कर रात्रौ प्रछन्न गृह—अतिचार कारित किया एवं फरियादिया साधना जो कि एक स्त्री है उसकी बुरी नियत से छाती पर हाथ रखकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- 02— अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादीया साधना ने अपनी मां विमला के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनांक 15.09.2015 को वह व उसके घरवाले खाना खा पीकर अपने घर में सो गए थे। करीब 2 बजे रात में वह व उसकी मां किवाड लटकाकर सो रहे थे, तभी उनके पडौस का नीलेश शर्मा आया और उसकी छाती पर हाथ रखा। उसकी नींद खुली तो आरोपी ने उसका मुंह दवा दिया। इतने में उसकी मां व भाभी जाग गई तो वह उसकी भाभी कीर्ति में धक्का देकर भाग गया। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

// 2//दाण्डिक प्रकरण कमांक-299/15

03— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व कोई तथ्य एवं परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त ने बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04- न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न हैं कि:-

1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.09.2015 को रात करीब 2:00 बजे थाना चंदेरी
	अन्तर्गत ग्राम तगारी में फरियादिया के घर जो कि मानव निवास के रूप में
	उपयोग में आता है में प्रवेश कर रात्रौ प्रछन्न गृह—अतिचार कारित किया ?
2.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादिया कु0 साधना जो कि एक
	स्त्री है उसकी बुरी नियत से छाती पर हाथ रखकर उस पर आपराधिक बल
	का प्रयोग किया ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

05- विचारणीय प्रश्न क0 1 व 2 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। साधना अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी नीलेश को जानती है। घटना करीब 1 साल पहले की होकर रात 12-1 बजे की है। घटना वाले दिन हम सभी घरवाले खाना खाकर अपने घर में सो गये थे तथा घटना दिनांक को वह तथा उसकी मां किवाड लटकाकर सो रहे थे। रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आया था तभी उसकी नींद खुल गई लेकिन वह व्यक्ति कौन था वह उसे पहचान नहीं पायी। अज्ञात व्यक्ति को देखकर वह चिल्लाई तो उसकी मां विमलाबाई और भाभी कीर्ति जाग गई जिन्हें देखकर वह व्यक्ति भाग गया। इसके अलावा उनके साथ कोई घटना कारित नहीं हुई। रात्रि होने से उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट अगले दिन थाना चंदेरी में की गई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। घटना स्थल पर पुलिस आई थी और घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी चोटो के परीक्षण हेतु चंदेरी अस्पताल भेजा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे जो प्रपी 3 है।

06— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी साधना अ0सा01 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि अचानक से एक लडका आया और आकर उसके पास लेट गया। इस बात से भी इंकार किया कि वह एक दम से उठी और देखा कि वो उनका पड़ौसी नीलेश था। साधना अ0सा1 ने इस बात

से भी इंकार किया कि वह चिल्लाने को हुई तो आरोपी ने उसका मुंह दवा लिया और बुरी नियत से उसकी छाती पर हाथ रखा। साधना अ0सा1 ने इस बात से इंकार किया हम तीनो को देखकर आरोपी नीलेश उसकी भाभी कीर्ति को धक्का देकर भाग गया। साक्षियां साधना अ0सा01 को पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए एवं बी से बी भाग (तात्विक भाग)पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट एवं कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकती।

07— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत विमलाबाई अ0सा02, कीर्ति अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानती है घटना करीब 1 साल पहले की होकर रात 12—1 बजे की है। कोई अज्ञात व्यक्ति रात्रि में घर में घुस आया था। वह व्यक्ति कौन था उसे पहचान नहीं पाना व्यक्त किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से इंकार किया कि आरोपी नीलेश आया और साधना के पास लेट गया। उक्त साक्षीगण ने इस बात से भी इंकार किया कि नीलेश ने आकर साधना की छाती पर बुरी नियत से हाथ रखा और उसका मुंह दवा दिया। साक्षी कीर्ति अ0सा03 ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी नीलेश उसे धक्का देकर भाग गया था।

07— जहां कि साधना अ0सा01 जोकि प्रकरण में स्वयं पीडित है एवं श्रमती विमला एवं कीर्ति जोकि फरियादिया साधना की मां एवं भाभी है ने भी अभियोजन की घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया कि घटना दिनांक को कोई अज्ञात व्यक्ति रात्रि में घर में घुस आया था। वह व्यक्ति कौन था उसे पहचान नहीं पाना व्यक्त किया तथा इस बात से इंकार किया कि आरोपी नीलेश उनके घर में घुस आया था एवं इस बात से भी इंकार किया कि घटना दिनांक को फरियादिया साधना का आरोपी नीलेश द्वारा बुरी नियत से छाती पर हाथ रखकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था।

08— इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्षीगण ने इंकार किया कि आरोपी नीलेश उनके घर में घुस आया था और आरोपी नीलेश द्वारा साधना का बुरी नियत से छाती पर हाथ रखकर उसपर आपराधिक बल का प्रयोग किया था। उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 15.09.2015 को रात करीब 2:00 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम तगारी में फरियादिया के घर जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है में प्रवेश कर रात्रो प्रछन्न गृह—अतिचार कारित किया एवं फरियादिया कु0 साधना जो कि एक स्त्री है उसकी बुरी नियत से छाती पर हाथ रखकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया । अतः अभियुक्त नीलेश पुत्र अमर सिंह लोधी उम्र 20 साल निवासी— ग्राम तगारी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 को भा.द.वि. की धारा 456, 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

// 4//दाण्डिक प्रकरण कमांक-299/15

- 09- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 10— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 11- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0